

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मिशन-164/2025

अशोक कुमार पुत्र सतवीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

1 सतवीर पुत्र कृपालराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़ ।

2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील जीतासिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत
होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण
वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं 4 आर. डबल्यू. बी.
के के खाता सं 66/62 के पतन 209/334 मु० 19 किला नं० 1/2/025 है० मै०मु०
खाला, 1/3/177 है०, 2/1/228, 2/2/025 मै०मु० खाला, 3/1 / 228, 3/2/025
है० मै०मु० खाला, 4/1/228, 4/2/025 है० मै०मु० खाला आराजी का वादी को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 4 आर डबल्यू बी के खाता सं 66/62 में से प्रतिवादी
सं 1 सतवीर का हिस्सा कम किया जावे व वादी का खाता प्रतिवादी से तकसीम कर रकमराज
अलग कायम अलग किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित
किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम
न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।
टिब्बी